न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पूर्व पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	वर्तमान पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	01/2021	06.07.2021	16/25 (2025/61)	15.01.2025	22.12.2025	1 लगायत 7
2	12/2023	12.09.2023				

1. मंगला पुत्र भौरया जाति जोगी उम्र 90 साल निवासी ग्राम जीवद, तहसील बामनवास।
1/1 हरिनायायण पुत्र मंगला जाति जोगी निवासी ग्राम जीवद, तहसील बामनवास।
1/2 सीताराम पुत्र मंगला जाति जोगी निवासी ग्राम जीवद, तहसील बामनवास।
1/3 बुधराम पुत्र मंगला जाति जोगी निवासी ग्राम जीवद, तहसील बामनवास।
1/4 रामस्वरूप पुत्र मंगला जाति जोगी निवासी ग्राम जीवद, तहसील बामनवास।
1/5 कमली पुत्री मंगला जाति जोगी निवासी ग्राम जीवद, तहसील बामनवास।
1/6 सीता पुत्री मंगला जाति जोगी निवासी ग्राम जीवद, तहसील बामनवास।
1/7 मुन्नी पुत्री मंगला जाति जोगी निवासी ग्राम जीवद, तहसील बामनवास।
1/8 संतो पुत्री मंगला जाति जोगी निवासी ग्राम जीवद, तहसील बामनवास।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. रामधन पुत्र गोपी जाति बैरवा निवासी खेड़ा बाढ़ रामगढ़ तहसील गंगापुर सिटी।
2. क़डी पत्नि रामधन जाति बैरवा निवासी खेड़ा बाढ़ रामगढ़ तहसील गंगापुर सिटी

– अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. प्रार्थी पक्ष की और से:– विद्वान अभिभाषक श्री जुगल किशोर गर्ग
2. अप्रार्थी पक्ष की और से :– विद्वान अभिभाषक श्री सतीश कुमार शर्मा

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र ग्राम जीवद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2975 व 2976 में से गैरसायल के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 29.06.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, साथ ही प्रार्थीपक्ष ने उक्त आवंटन दिनांक 29.06.2002 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:03:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण [illegible] किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई अधीनस्थ द्वारा प्रार्थी [illegible] प्रस्तुत प्रतिलिपि प्राप्त [illegible] के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

लिए आवेदन पत्र पर अलॉटमेन्ट रजिस्टर दिनांक 29.06.2002 सम्बन्धित रिकार्ड कार्यालय हाजा में दिनांक 21.05.2009 को हुई आगजनी में जल गया संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर तथा उभय पक्षों की सहमति पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस अनुरोध किया कि प्रार्थीगण ने मौजूदा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थीगण ने अपने आपको भूमिहीन व्यक्ति बतलाकर सन् 2002 के आंवटन शिविर में भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और हल्का पटवारी से साजिश करके भूमिहीन व्यक्ति होने की गलत रिपोर्ट तैयार करवाकर दिनांक 19.06.2002 को ग्राम जीवद में भूमि खसरा नम्बर 2956 रकबा 66 एयर तथा 2975 रकबा 50 एयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.16 है0 स्थित जीवद का आवंटन करवा लिया। खसरा नम्बर 2975 का बाद आवंटन वटा नम्बर 3375/2975 कायम हुआ। जबकि अप्रार्थीगण ग्राम जीवद के निवासी नहीं है बल्कि ग्राम खेड़ाबाढ रामगढ के निवासी है जो कि ग्राम जीवद से काफी दूर पड़ता है। आवंटन के समय उक्त वादग्रस्त भूमि कोई वैकेट लैण्ड नहीं थी बल्कि इस भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा चला आ रहा था जबकि प्रार्थीगण ग्राम जीवद के ही रहने वाले है और भूमिहीन व्यक्ति है। आवंटन के समय यदि आवंटी के माता–पिता के पास कृषि भूमि होती है तो उसमें आवंटी का भी नोशनल हिस्सा माना जाता है और इस आधार पर उसे भूमिहीन नहीं माना जा सकता। अप्रार्थी रामधन के खातेदारी में भी ग्राम जीवद एवं बाढ़ रामगढ़ में काफी भूमि है। ग्राम जीवद में खसरा नम्बर 2964 व 2973 व चाह है, इस चाह में रामधन अप्रार्थी का 1/40 हिस्सा है, इसके अलावा अप्रार्थी रामधन के पिता गोपी पुत्र सोन्या की खातेदारी में खसरा नम्बर 2878, 2879 कुल किता 2 कुल रकबा 98 ऐयर भूमि ग्राम जीवद में है तथा इस गोपी ने भी फर्जीयत करते हुए ग्राम जीवद में अपने आपको भूमिहीन व्यक्ति बतलाकर खसरा नम्बर 3103/2866 रकबा 1 है0 का आवंटन कराया था और आवंटन के पश्चात् जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सीता पत्नि प्रहलाद जाति बैरवा को विक्रय कर दी। ग्राम बाढ़ रामगढ़ में स्वयं रामधन अप्रार्थी के पास भूमि कुल किता 14 रकबा 1.78 है0 में 1/16 है, इसी प्रकार इसके पिता गोपी के पास ग्राम रामगढ़ मुराड़ा में खसरा नम्बर 1583 रकबा 68 ऐयर तथा आवंटी रामधन के हिस्से में ग्राम जीवद में रकबा 2.38 है. का हिस्सा 1/40 है। इस प्रकार से अप्रार्थी के पास स्वयं की खातेदारी की तथा अपने पिता की खातेदारी की काफी भूमि है और इस प्रकार अप्रार्थीगण ने अपने आपको गलत तरीके से भूमिहीन व्यक्ति बतलाकर भूमि का आवंटन कराया है। यह आवंटन फॉड्रूलेन्टली है और ऐसा फॉड्रूलेन्[illegible] निरस्त किया जा सकता है। ऐसे आवंटन की निरस्ती के लिये कोई [illegible]ा नहीं हैं तथा यह आवंटन खातेदारी के पश्चात् भी निरस्त कि[illegible]पेज 521 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि [illegible] परिवार के [illegible]क्त के पिता के पास यदि भूमि होती है तो उसमें उसका नोशनल [illegible] और वह भूमिहीन व्यक्ति नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:03:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 16/2025 मंगला बनाम रामधन व अन्य

है। 2015 डीएनजे (राजस्व) पेज–81 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि –यदि कोई व्यक्ति जो भूमिहीन ना हो और अपने आपको भूमिहीन बतलाकर गलत तरीके से भूमि का आवंटन करा लेता है तो ऐसा आवंटन किसी भी समय यहां तक कि खातेदारी प्राप्त होने के पश्चात् भी निरस्त किया जा सकता है। भूमि आवंटन के समय आवंटन कमेटी का विधि अनुसार कोरम पूर्ण नहीं हुआ और बिना कोरम पूर्ण हुए ही भूमि का आवंटन किया गया है, इस प्रकार से कोरम के अभाव में किया गया आवंटन गैर कानूनी आंवटन होता है, जिसमें एम.एल.ए., संरपच इत्यादि व्यक्तियों का होना आवश्यक है, ऐसा नहीं होने पर 2005 आरआरडी 629 के अनुसार आवंटन निरस्त होने योग्य है। आंवटित भूमि पर आवंटित व्यक्ति का कब्जा होना आवश्यक है। भूमि पर आबंटी का आवंटन से लेकर अब तक कभी कोई कब्जा नहीं रहा, आवंटी के कब्जे के बाबत् किसी प्रकार का कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि भूमि को प्रार्थीगण लगातार काश्त करते चले आ रहे है और आज तक प्रार्थीगण किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा बेदखल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण का आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आंवटन दिनांक 29.06.2002 बाबत् खसरा नम्बर 2956 व 2975 जिसका नवीन नम्बर 3335/2975 ग्राम जीवद हुआ है निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया। भूमि आवंटन के बाद पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर गवाहान की उपस्थिति में अप्रार्थीगण को कब्जा दिया गया, तभी से अप्रार्थीगण उक्त भूमि को लगातार काश्त करते चले आ रहे हैं तथा आज भी भूमि पर लगातार काबिज काश्त हैं प्रार्थना पत्र के मद नं03 में सायल द्वारा गैरसायल सं0 1 के पिता गोपी के नाम भूमि होना अंकित किया हैं परन्तु यह नही बताया कि कितनी भूमि हैं यहां यह बताना आवश्यक हैं कि गैरसायल सं01 के पिता के नाम खाता सं0 17 में से केवल उसके हिस्से की 11 ऐयर भूमि हैं तथा खाता सं0 412 में 12 ऐयर भूमि हैं जो बारानी भूमि हैं अर्थात सायल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से भी स्पष्ट हैं कि गैरसायलान भूमिहीन किसान की श्रेणी में आते हैं तथा आंवटन किया गया हैं वह सही रूप से किया गया हैं तथा जहां तक भूमि विक्रय का प्रश्न गैरासायल सं01 के पिता द्वारा जो भूमि विक्रय की गयी व गैरसायलान को भूमि आवंटन दिनांक 29–6–2002 के पश्चात दिनांक 26–5–1996 को किया गया अर्थात भूमि आवंटन के समय भी गैरसायलान भूमिहीन किसान की श्रेणी में ही थे प्रार्थना पत्र का मद नं0 5 में वर्णित अनुसार प्रार्थी का कथन हैं कि अप्रार्थीगण अलग गांव व पंचायत के रहने वाले हैं जो बिल्कुल मिथ्या व गलत हैं क्योकि अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम रामगढ मुराडा व जीवद दोनो में हैं जो उक्त भूमि के आवंटन से पूर्व से ही हैं स्वंय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी खाता सं० 17,88, 95, 97, 88, 412, से स्पष्ट है [illegible] ग्राम रामगढ मुराडा व जीवद दोनो जगह रहकर भूमि काश्त कर अपना व प[illegible] का [illegible]लन पोषण करते आ रहे हैं। प्रार्थी स्वंय भी जानता हैं कि अप्रार्थी के परिवार के कुछ स[illegible] ग्राम रामगढ मुराडा तथा कुछ ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:03:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

जीवद में रहते हैं। प्रार्थना पत्र गरीब लोगो की भूमि को हडपने की नियत से पेश किया हैं यहां यह उल्लेख करना आवश्यक हैं कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र भूमि आवंटना सन 2002 के पश्चात सन 2021 में अर्थात 19–20 वर्ष बाद क्यो पेश किया, क्योकि प्रार्थी व उसके परिवार की नियत हमेशा से अप्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने की रही हैं इसलिये प्रार्थी के पुत्र हरनारायण उसके लडके व परिवार के अन्य सदस्यो ने सन 2020 में अप्रार्थीगण की उक्त आवंटित भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से लडाई झगडा करना प्रारम्भ कर दिया। इसलिये अप्रार्थीगण द्वारा एक दावा व टी०आई० प्रार्थना पत्र एसडीओ साहब बामनवास के यहां बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसमें प्रार्थी व उसके परिवार को दिनांक 30–6–2021 को दावे व टी०आई० के पक्षकारो जो कि प्रार्थी के पुत्र, पौत्र व पुत्रवधू रहे को टी०आई० में स्थगन से पाबन्द कर दिया गया कि वह खातेदारान अप्रार्थीगण को भूमि के उपयोग उपभोग व कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न न करे। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया तथा उक्त सीमाज्ञान को नही मानने पर अप्रार्थीगण द्वारा एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 128 एलआर एक्ट पत्थर गढी का पेश किया गया, जिसमें न्यायालय एसडीओ साहब बामनवास द्वारा पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का से मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की गयी, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित हैं कि भूमि ख0नं0 295 रकबा 0.66 हेक्टर व 3335/2975 रकबा 0.50 हेकटर ग्राम जीवद पर प्रार्थी अर्थात उक्त प्रकरण के अप्रार्थीगण का स्वंय का कब्जा हैं। मौके पर विवाद हैं इसलिये पुलिस सहायता से पत्थर गढी होना आवश्यक हैं उक्त रिपोर्ट हल्का गिरदावर द्वारा दिनांक 28–6–2021 को पेश होने के उपरान्त धारा 128 एलआर एक्ट के प्रकरण का दिनांक 2–7–2021 को निर्णय किया गया उसके उपरान्त प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण गलत आधारो पर श्रीमान के समक्ष पेश किया गया हैं जो निरस्त होने योग्य हैं क्योकि यदि विवादित भूमि पर प्रार्थी आवंटन के समय काबिज थे तो उसी समय आवंटन पर आपत्ति करते या स्वंय भूमि आवंटन का आवेदन पेश करते परन्तु उनके द्वारा ऐसा नही किया गया, इसके उपरान्त भी 19 वर्ष तक उनके द्वारा आवंटन के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की गयी। अप्रार्थीगण भूमि के खातेदार हैं तथा किसी भी व्यक्ति की खातेदारी को गलत तथ्यो पर वर्णन के आधार पर निरस्त नही किया जा सकता। भूमि आवंटन बिल्कुल सही प्रक्रिया अपनाते हुये मजमे आम में मुताबिक प्रार्थी शिविर में आवंटन किया गया, जिसकी जानकारी ग्रामवासीयो को व प्रार्थी स्वंय को प्रारम्भ से ही रही, साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर आंवटन दिनांक 29.06.2002 बाबत् खसरा नम्बर 2956 व 2975 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली एवं मूल नामान्तरकरण कर आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा मूल अपील के साथ–साथ नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 ,नकल जमाबन्दी सम्वत् 20[illegible]76, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064, नकल जमाबन्दी सम्वत् 206[illegible]206[illegible] नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 ,नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 ,नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 नकल फैसला दिनांक 03/12/1992 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर करौली, नकल आर्डरशीट दि[illegible]क 21/02/95 न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:03:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 16/2025 मंगला बनाम रामधन व अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर मु0नं0 25/93 प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार निम्नानुसार स्थिती है।

1. जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के अनुसार ग्राम जीवद में स्थित भूमि खं0नं0 2964 रकबा 0.03 है0 , खं0नं0 2973 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.04 है0 रामधन पुत्र गोपी हिस्सा 1/40 खातेदार दर्ज रिकोर्ड है।
2. जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार ग्राम जीवद में स्थित भूमि खं0नं0 2878 रकबा 0.71 है0, खं0नं0 2879 रकबा 0.27 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.98 है0 गोपी पुत्र सोन्या हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज रिकोर्ड है।
3. जमाबन्दी सम्वत् 2061–64 के अनुसार ग्राम जीवद में स्थित भूमि खं0नं0 3103/2866 कुल रकबा 1.00 है0 गोपी पुत्र सोन्या खातेदार दर्ज है तथा नामा0 सं0 1336 बेचान 23/06/2006 से श्रीमती सीता पत्नि प्रहलाद बैरवा निवासी खेड़ा तह0 गंगापुर सिटी के नाम विक्रय से खं0नं0 3103/2866 रकबा 1.00 है0 का इन्द्राज हुआ।
4. जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के अनुसार ग्राम जीवद में स्थित भूमि खं0नं0 3103/2866 कुल रकबा 1.00 है0 सीता पत्नि प्रहलाद बैरवा निवासी खेड़ा तह0 गंगापुर सिटी खातेदार दर्ज रिकोर्ड है।
5. जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के अनुसार ग्राम खेड़ाबाढ़रामगढ में स्थित भूमि खं0नं0 100 रकबा 0.13 है0, खं0नं0 101 रकबा 0.06 है0, खं0नं0 102 रकबा 0.08 है0, खं0नं0 103 रकबा 0.08है0, खं0नं0 104रकबा 0.02है0, खं0नं0 91 रकबा 0.24है0, खं0नं0 92 रकबा 0.15है0, खं0नं0 93 रकबा 0.01 है0, खं0नं0 94 रकबा 0.36है0, खं0नं0 95 रकबा 0.38है0, खं0नं0 96 रकबा 0.03है0, खं0नं0 97 रकबा 0.15है0, खं0नं0 98 रकबा 0.04है0, खं0नं0 99 रकबा 0.05 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 1. 78 है0 रामधन पुत्र गोपी हिस्सा 1/16 खातेदार दर्ज रिकोर्ड है।
6. जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के अनुसार ग्राम खेड़ाबाढ़रामगढ़ में स्थित भूमि खं0नं0 1583 कुल रकबा 0.68 है0 गोपी पुत्र सोन्या हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज रिकोर्ड है।
7. जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के अनुसार ग्राम जीवद में स्थित भूमि खं0नं0 2957 रकबा 0.02 है0, खं0नं0 2958 रकबा 0.37 है0, खं0नं0 2959 रकबा 0.39 है0, खं0नं0 2965 रकबा 0.42 है0, खं0नं0 2966 रकबा 0.16 है0, खं0नं0 2968 रकबा 0.12 है0, खं0नं0 2969 रकबा 0.12है0, खं0नं0 2970 रकबा 0.14 है0, खं0नं0 2972 रकबा 0. 46है0, कुल किता 9 कुल रकबा 2.38 है0 रामधन पुत्र गोपी हिस्सा 1/40 खातेदार दर्ज है।
8. जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के अनुसार ग्राम जीवद में स्थित भूमि खं0नं0 2956 रकबा 0.66 है0, खं0नं0 3335/2975 रकबा 0.50 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.16 है0 कड़ी पत्नि रामधन हिस्सा 1/2, रामधन पुत्र गोपी हिस्सा 1/2 खातेदार दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:03:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 16/2025 मंगला बनाम रामधन व अन्य

9. न्यायायल अतिरिक्त जिला कलेक्टर करौली के प्रार्थना पत्र सं0 114/92 में पारित निर्णय दिनांक 03.12.92 के अनुसार अप्रार्थी के पिता गोपी पुत्र सोन्या को ग्राम जीवद की आराजी खं0नं0 2866 में से 1.00 है0 भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया गया था।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटी व आवंटी के पिता के नाम न सिर्फ राजस्व ग्राम जीवद में स्थित भूमि खं0नं0 2964 रकबा 0.03 है0 , खं0नं0 2973 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.04 है0 हिस्सा 1/40, खं0नं0 2878 रकबा 0.71 है0, खं0नं0 2879 रकबा 0.27 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.98 है0 हिस्सा पूर्ण खातेदार, खं0नं0 3103/2866 कुल रकबा 1.00 है0 खातेदार , खं0नं0 2957 रकबा 0.02 है0, खं0नं0 2958 रकबा 0.37 है0, खं0नं0 2959 रकबा 0.39 है0, खं0नं0 2965 रकबा 0.42 है0, खं0नं0 2966 रकबा 0.16 है0, खं0नं0 2968 रकबा 0.12 है0, खं0नं0 2969 रकबा 0.12है0, खं0नं0 2970 रकबा 0.14 है0, खं0नं0 2972 रकबा 0.46है0, कुल किता 9 कुल रकबा 2.38 है0 हिस्सा 1/40 दर्ज रिकोर्ड थी अपितु राजस्व ग्राम खेड़ाबाढ़रामगढ में भी में स्थित भूमि खं0नं0 100 रकबा 0.13 है0, खं0नं0 101 रकबा 0.06 है0, खं0नं0 102 रकबा 0.08 है0, खं0नं0 103 रकबा 0.08है0, खं0नं0 104रकबा 0.02है0, खं0नं0 91 रकबा 0.24है0, खं0नं0 92 रकबा 0.15है0, खं0नं0 93 रकबा 0.01 है0, खं0नं0 94 रकबा 0.36है0, खं0नं0 95 रकबा 0.38है0, खं0नं0 96 रकबा 0.03है0, खं0नं0 97 रकबा 0.15है0, खं0नं0 98 रकबा 0.04है0, खं0नं0 99 रकबा 0.05 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 1.78 है0 हिस्सा 1/16, खं0नं0 1583 कुल रकबा 0.68 है0 हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज थी। आवंटन नियम के तहत आवेदक उसी ग्राम में आवेदन कर सकता है, जिस ग्राम का वह निवासी है व भूमिहीन पात्र है। आवेदक/आंवटी गोपी द्वारा स्वयं के नाम 2 ग्रामों में राजस्व रिकोर्ड में भूमि दर्ज होने के तथ्य को छिपाते हुए पहले ग्राम ग्राम जीवद में स्थित भूमि खं0नं0 3103/2866 कुल रकबा 1.00 है0 का आवंटन स्वयं को भूमि हीन की श्रेणी में आवेदन कर आवंटन करवा लिया अपितु उक्त आराजी की खातेदारी होते ही उक्त भूमि खं0नं0 3103/2866 कुल रकबा 1.00 है0 ग्राम जीवद का जरिये रजिस्टर्ड विकय नामा दिनांक 26/05/2006 को अंतरण (विकय) कर पुनः भूमिहीन आवेदक की श्रेणी में आवंटन करवा लिया। अर्थात तथ्य छिपाकर ,इरादतन, कपटपूर्ण ढंग से आवंटन प्राधिकारी के समक्ष बार–बार आवेदन कर आवंटन नियमों का दुरूपयोग कर राज्य सरकार की संपत्ति की क्षति कारित की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:03:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 16/2025 मंगला बनाम रामधन व अन्य

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा अप्रार्थी को ग्राम जीवद में स्थित भूमि खं0नं0 3335/2975 रकबा 50 ऐयर व खं0नं0 2956 रकबा 66 ऐयर का हुआ आवंटन दिनांक 29.06.2002 निरस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु निर्णय की प्रति के साथ पृथक से तहसीलदार बामनवास को तहरीर जारी कर पालना रिपोर्ट दिनांक 15.01.2026 तक भिजवाने हेतु लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:03:08 IST
Reason: SelfAttested

[Type text]